



इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ०प्र० Allahabad State University, Allahabad, U.P.

पत्रांक:इ०रा०वि०वि० / उ०कु०सं०का० / ११५ / २०१७

दिनांक: ०५ / १२ / २०१७

प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक 24.11.2017 को आहूत परीक्षा समिति की बैठक के समक्ष यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि विश्वविद्यालय की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या अत्याधिक होने के कारण उनका गुणवत्तापरक मूल्यांकन नहीं होने, उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षकों द्वारा कई प्रश्न बिना मूल्यांकन किये हुये छोड़ देने तथा उत्तर पुस्तिका में दिये अंकों का योग गलत होने, तथा उत्तर पुस्तिकाओं की स्कूटनी हेतु बहुतायत में छात्रों के आवेदन प्राप्त होते हैं। छात्रों को आर०टी०आई०/स्कूटनी के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी उत्तर पुस्तिकाओं में अनेकों ऐसे प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिनमें छात्रों ने मूल्यांकनकर्ता/शिक्षकों द्वारा दिये गये अंकों पर असंतोष व्यक्त किया है। विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के पूनर्मूल्यांकन की व्यवस्था न होने तथा समुचित मूल्यांकन न होने के कारण अनेकों प्रकरणों में परीक्षार्थियों/छात्रों का अहित हो जाता है। अतएव मूल्यांकन की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु मूल्यांकनकर्ताओं में मूल्यांकन कार्य के प्रति सवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व की भावना विकसित किये जाने के लिए कोई सुधारात्मक पहल की जानी आवश्यक है।

उक्त का संज्ञान लेते हुए परीक्षा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 24.11.2017 के बिन्दु सं०-5 में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि उत्तर पुस्तिका के अवलोकन के उपरान्त असन्तुष्ट छात्रों को चैलेंज इवैलुवेशन (मूल्यांकन को चुनौती) का अवसर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 07.01.2016 में लिए गए निर्णय में कतिपय संशोधन के साथ लागू करने की अनुमति प्रदान की। जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

- i. छात्र वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के माध्यम से मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की स्कैन्ड कॉपी प्राप्त करेगा।
- ii. उत्तर पुस्तिका के अवलोकन से असन्तुष्ट छात्र उत्तर पुस्तिका प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर रु० 3,000/- प्रति प्रश्नपत्र की दर से देय शुल्क का भुगतान कर चैलेंज इवैलुवेशन (Challenge Evaluation) के लिए आवेदन कर सकेगा।
- iii. सम्बन्धित उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन मूल मूल्यांकनकर्ता से इतर माननीय कुलपति जी द्वारा नामित दो चैलेंज मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा अलग-अलग कराया जाएगा तथा दोनों मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिये गये अंकों का औसत लिया जायेगा।
- iv. यदि मूल मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अंकों तथा दोनों चैलेंज मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिये गए अंकों के औसत का अन्तर प्रश्नपत्र के पूर्णांक के 15% तक पाया जाएगा तो मूल मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए अंकों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा छात्र द्वारा जमा शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
- v. यदि मूल मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अंकों तथा दोनों चैलेंज मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिये गए अंकों के औसत का अन्तर प्रश्नपत्र के पूर्णांक के 15% से अधिक एवं 25% तक पाया जाएगा तो मूल मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए अंकों को दोनों चैलेंज मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए अंकों के औसत से बदल दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में छात्र द्वारा जमा शुल्क से रु० 500/-की कटौती कर शेष राशि उसे वापस कर दी जाएगी तथा मूल्यांकनकर्ता को विश्वविद्यालय के कार्यों से अधिकतम 03 वर्ष के लिए **Debar** किया जाएगा।



इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ०प्र०
Allahabad State University, Allahabad, U.P.

पत्रांक: इ०रा०वि०वि०/उ०कु०सं०का०/११५/२०१७

दिनांक: ०५/१२/२०१७

- vi. यदि मूल मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अंकों तथा दोनों चैलेंज मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए अंकों के औसत का अन्तर प्रश्नपत्र के अधिकतम प्राप्तियों के 25% से अधिक पाया जाएगा तो ऐसी उत्तर पुस्तिका को माननीय कुलपति जी द्वारा नामित तृतीय चैलेंज मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकित कराया जाएगा। मूल मूल्यांकन द्वारा प्रदान किए गए अंकों को तीनों चैलेंज मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए अंकों के औसत से बदल दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में छात्र द्वारा जमा शुल्क से रू० 500/- की कटौती कर शेष राशि उसे वापस कर दी जाएगी तथा मूल मूल्यांकनकर्ता को विश्वविद्यालय के कार्यों से 05 वर्ष के लिए **Debar** कर दिया जाएगा।
- vii. चैलेंज प्रक्रिया में यदि उपरोक्त बिन्दु v एवं vi के अनुसार सम्बन्धित छात्र के अंकों में परिवर्तन होता है, तो उसके परीक्षाफल में आवश्यक संशोधन करते हुए सम्पूर्ण परीक्षाफल घोषित कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका के अवलोकन के पश्चात चैलेन्ज इवैलुवेशन हेतु शुल्क जमा कराये जाने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण विज्ञप्ति के साथ संलग्न संलग्नक में वर्णित है।

परीक्षा समिति के उक्त विनिश्चय के अनुपालन में मुझे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों से यह कहने का निदेश हुआ है कि परीक्षा समिति के उक्त निर्णय को अपने महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करते हुए अपने स्तर से महाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक – यथोपरि

डॉ० (साहेब लाल मौर्य)
परीक्षा नियंत्रक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्राचार्य, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।
2. समस्त अधिकारीगण।
3. एजेंसी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की कॉलेज लॉगिन में अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. वैयक्तिक सहायक, वित्तअधिकारी, कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।

(राजबहादुर)
उपकुलसचिव(परीक्षा)